रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-717/2018/1634/22-2-2018-17(269)/2018

लखनऊ: दिनांक: 04 अक्टूबर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **02 अक्टूबर, 2018 को महात्मा गॉधी की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष पर जिला कारागार, मीरजापुर** में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष **बन्दी मीता (बन्दी सं0-189/2016) पुत्र श्री अमरदेव,** जो- ग्राम-बहरी धवहॉ, थाना-चुनार, जनपद-मीरजापुर का रहने वाला है**,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-32/1980** के अन्तर्गत भा0द0सं0 की **धारा-149, 302/149, 307/149, 323/149** के अधीन **दिनांक 10.08.1982** को **मा0 सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर** द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायाल द्वारा अपने आदेश **दिनांक 29.04.2016 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को भा0द0सं0 की धारा-325/149, 147, 323/149 में परिवर्तित करते हुए 03 वर्ष के दण्ड से दण्डित** किया गया तथा जिनके द्वारा दिनांक 04.09.2018 तक 02 वर्ष 02 माह 03 दिन की अपरिहार सजा काटी गयी है, जो कुल दी गयी सजा के 50 प्रतिशत से अधिक है। बन्दी की आयु 66 वर्ष है एवं जेल आचरण अच्छा है, की शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह

विशेष सचिव।

संख्या-717/2018/1634(1)/22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर।

3- पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, मीरजापुर।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in